



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260452
CG-DL-E-24012025-260452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 418]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

का.आ. 422(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में हरिद्वार रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी.48.880 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्यात्मि अधिकारी, हरिद्वार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में हरिद्वार रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी.48.880 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड		जिले का नाम: हरिद्वार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हरिद्वार					
गांव का नाम: भगतनपुर आविदपुर उर्फ़ इब्राहिमपुर					
1	12/716	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: अतमलपुर बौंगला					
2	398/1	निजी	कृषि	0.0646 (हेक्टेयर)	0.0646
गांव का नाम: सराय					
3	255	निजी	कृषि	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
4	316	निजी	कृषि	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
गांव का नाम: देवपुर मुस्तकाम					
5	303	निजी	कृषि	0.1689 (हेक्टेयर)	0.1689
6	95	निजी	कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
7	96	निजी	कृषि	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
8	97	निजी	कृषि	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
9	98	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: रुहालकी किशनपुर					
10	169/5	निजी	कृषि	0.0489 (हेक्टेयर)	0.0489
11	188	निजी	कृषि	0.0232 (हेक्टेयर)	0.0232
Total					0.5003

[फा. सं. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar Ring Road(LA)/2020/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

S.O. 422(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of Haridwar Ring Road in the stretch of land from Km 0.000 to Km 48.880 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA/SLAO, Haridwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Haridwar Ring Road in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 48.880 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

State: UTTARAKHAND			District: HARIDWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Haridwar					
Village: Bhagtanpur Abidpur Urf Ibrahimpur					
1	12/716	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Atmalpur Baungla					
2	398/1	Private	Agriculture	0.0646 (Hectare)	0.0646
Village: Sarai					
3	255	Private	Agriculture	0.0462 (Hectare)	0.0462
4	316	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
Village: DevpurMustkam					
5	303	Private	Agriculture	0.1689 (Hectare)	0.1689
6	95	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
7	96	Private	Agriculture	0.047 (Hectare)	0.047
8	97	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056
9	98	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
Village: RuhalkiKishanpur					
10	169/5	Private	Agriculture	0.0489 (Hectare)	0.0489
11	188	Private	Agriculture	0.0232 (Hectare)	0.0232
Total					0.5003

[F. No. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar Ring Road(LA)/2020/3A]

ABHAY JAIN, Director